

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

क्रमांक:प. 1(30)साप्र/ग्रुप-5/2016

जयपुर, दिनांक: 24.10.2017

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.9.2016 के संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा वाशी, नवी मुम्बई में राजस्थान भवन का संचालन दिनांक 21.6.2017 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इस भवन में ठहरने हेतु पात्रता एवं चार्जेज निम्नप्रकार से निर्धारित किये गये हैं:-

राजकीय केटेगरी ग्रुप-ए

सिर्फ राजकीय कार्य से मुम्बई यात्रा पर एक बार में 05 दिन तथा माह विशेष में 07 दिन (राजकीय आवास धारक, मुख्यालय होने एवं स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं)

1. राजस्थान के माननीय राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. अध्यक्ष, विधानसभा, मा. राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीशगण एवं राज्य के समस्त वर्तमान मंत्रीगण (कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं समकक्ष दर्जा प्राप्त अतिथिगण) ।
2. राजस्थान के समस्त वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा के सांसद ।
3. राजस्थान विधान सभा के समस्त वर्तमान विधायक ।
4. लोकायुक्त, राजस्थान ।
5. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग ।
6. राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस., एवं आर.एस.एस.) के समस्त अधिकारीगण ।
7. राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 में ग्रेड-पे 6600/- या अधिक वेतनमान प्राप्त कर रहे विभिन्न राज्य सेवाओं के समस्त अधिकारीगण ।
8. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य की उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त न्यायिक सेवा अधिकारीगण ।
9. राजस्थान सरकार की ड्यूटी पर आने वाले सभी पायलट ।
10. राजस्थान सरकार के मुम्बई स्थित कार्यालयों के निरीक्षण, अंकेक्षण हेतु अधिकृत प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर कार्यालय के वरिष्ठ उप महालेखाकार या उससे उच्च पदाधिकारीगण ।
11. मा0 मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4 व 5) विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जो सीधे विश्राम भवन सेवा से संबंधित कार्यों को निष्पादित करते हैं ।
12. राजस्थान राज्य के सर्किट हाउस सेवा के वर्तमान अधिकारी, कर्मचारीगण ।
13. राज्य के निवासी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है ।
14. राजस्थान राज्य/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्रों के निगमों, बोर्डों, मंडलों, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकाय आदि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिन्दु संख्या 6 एवं 7 के समस्त अधिकारी ।
15. राजस्थान राज्य के वे सभी कर्मचारी मय एक अटेण्डेंट जो असाध्य बीमारी के ईलाज हेतु राज्य से रैफर किये जाकर मुम्बई स्थित चिकित्सालय में उपचाररत हो ।
16. राजस्थान भवन, वाशी, मुम्बई के निर्माण में राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा दिये गये अंशदान की एवज में CMD/CEO/MD स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारीगण को राजस्थान भवन में (एक कमरे तक की सीमा के लिये) सेवायें प्रदान करने पर निम्नानुसार डिस्काउण्ट देय होगा :-

ॐ

(₹In Crore)

Board Corp.	Amount Deposited	Rebate % on Pvt. Rate	Board Corp.	Amount Deposited	Rebate % on Pvt. Rate
RSMML	8.00	75%	AVVNL	0.50	50%
RRVVNL	1.00	50%	JVVNL	0.50	50%
JdVVNL	0.50	50%	RRVPNL	1.00	50%
RIICO	7.00	75%	RRECL	2.00	50%
RPCB	1.00	50%	RSAMB	1.00	50%
RFC	1.00	50%	RAJFED	1.00	50%
RSRDC	2.00	50%	-	-	-

राजकीय केटेगरी ग्रुप-बी

(निजी कार्य से मुम्बई यात्रा पर एक बार में 5 दिन तथा माह विशेष में 7 दिन (राजकीय आवास धारक, मुम्बई मुख्यालय होने एवं स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं)

- ग्रुप-ए के बिन्दु संख्या 6, 7, 8, 11 व 12 पर वर्णित निजी कार्य/अवकाश के दौरान यात्रा पर एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण।
- निजी कार्य या अवकाश यात्रा पर आने वाले ग्रुप-ए के बिन्दु संख्या 14 व 16 पर वर्णित समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण।
- राष्ट्रपति पदक यथा भारत-रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवामेडल, परम-विशिष्ट सेवामेडल, महावीर चक्र, क्रान्ति चक्र, सर्वोत्तम जीवन रक्षापदक, उत्तम-युद्ध सेवामेडल, अति-विशिष्ट सेवामेडल से अलंकृत राजस्थान राज्य के निवासी पूर्व सैन्य अधिकारी।
- पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान। (माह विशेष में केवल 03 दिवस के लिए)
- राजस्थान राज्य के पूर्व मंत्री/लोक एवं राज्य सभा के समस्त पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायकगण। (माह विशेष में केवल 03 दिवस के लिए)

केटेगरी ग्रुप-सी

- ग्रुप-ए एवं ग्रुप-बी में उल्लेखित अतिथियों के अतिरिक्त अन्य सभी अतिथिगण।
- राजस्थान राज्य के नागरिकों को ग्रुप-सी की दरों पर राजस्थान भवन में प्रवास हेतु कक्ष आवंटन में वरीयता दी जावेगी।

चार्ज

राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई हेतु दरें

(राशि रु में)

क्र सं.	विवरण	ग्रुप-ए	ग्रुप-बी	ग्रुप-सी
1	सुईट	300	2000	3500
2	डीलक्स रूम	300	1000	2000
3	एक्स्ट्रा बैड	50	100	150
4	डोरमेट्री सिंगल बैड	50	100	200
5	चाय सिंगल ट्रे	5	15	25
6	कॉफी सिंगल ट्रे	8	20	30
7	नाश्ता	30	50	75
8	लंच/डिनर (शाकाहारी)	40	100	150

२

राजस्थान भवन के Amphitheatre थियेटर एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का किराया

(राशि रु प्रतिदिन)

क्र सं.	विवरण	राजस्थान सरकार के राजकीय विभागों/उपक्रमों से	भारत/अन्य राज्य सरकार/उपक्रमों से	निजी व्यक्तियों/संस्थाओं, बैठक, विवाह/अन्य समारोह आदि
1	मल्टीपर्पज थियेटर (AMPHITHEATRE)	5,000	10,000	15,000
2	द्वितीय तल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल	5,000	10,000	15,000

नोट :-

1. केटेगरी ग्रुप- 'सी' के अतिथियों से उपरोक्त दर के अलावा कुल बिल की राशि पर 10 प्रतिशत सर्वेन्ट ग्रेच्यूटी की राशि अतिरिक्त रूप से चार्ज की जाएगी।
2. निजी व्यक्तियों/संस्थाओं, बैठक, विवाह/अन्य समारोह आदि हेतु दरें अस्थायी रूप से लागू होंगी। राजस्थान भवन की सेवायें आरम्भ होने की तिथि से तीन माह की अवधि में प्रबन्धक, राजस्थान भवन द्वारा अन्य राज्यों के अतिथि भवनों एवं आस-पास की स्थिति, निजी होटल्स की दरें प्राप्त कर अपनी टिप्पणी के साथ दरें संशोधित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।
3. निजी व्यक्तियों/संस्थाओं, बैठक, विवाह/अन्य समारोह आदि हेतु यदि भोजन जलपान की व्यवस्था की जाती है तो उसके चार्जेज लागत पर 20% सरचार्ज जोड़कर चार्ज किया जायेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मा0राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक, निजी सचिव, मा0मंत्रीगण/राज्यमंत्री/उपमंत्री/संसदीय सचिव/नेता प्रतिपक्ष / सांसदगण/विधायकगण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अति0मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव शासन सचिवालय।
6. प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
7. अति0 आवासीय आयुक्त, नवी मुम्बई।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
11. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
12. प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई के प्रचार-प्रसार हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(गौरव बजाड़)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. समस्त निगम/बोर्ड/मण्डल, राजस्थान।



शासन उप सचिव